पवन हंस लिमिटेड, जिसे एतद्वारा 'प्रधान' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, तथा ----------, जिसे एतद्वारा ''बोलीदाता/ठेकेदार '' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के मध्य

सत्यनिष्ठा संधि

प्रस्तावना

प्रधान, निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार,----------कार्य के लिए अनुबंध करना चाहता है। प्रधान सभी संबंधित स्थानीय कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग तथा बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) के साथ अपने संबंधों में सत्य व्यवहार /पारदर्शिता चाहता है।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रधान द्वारा स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईएएम), की नियुक्ति की जाएगी जो निविदा प्रक्रिया तथा ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार करार के अनुपालन के निष्पादन की निगरानी करेगा।

खंड 1 – प्रधान की प्रतिबद्धता

1. प्रधान भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है :-

क) प्रधान का कोई भी कर्मचारी वैयक्तिक अथवा परिवार के सदस्यों के माध्यम से इस निविदा अथवा करार के निष्पादन के संबंध में स्वयं अथवा किसी तृतीय व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की मांग, कोई वचन देने अथवा स्वीकार करने, किसी प्रकार का भौतिक अथवा अभौतिक लाभ प्राप्त करने का कृत्य नहीं नहीं करेगा जिसे प्राप्त करने की उसकी वैध हकदारी नहीं है। इसमें प्रयुक्त शब्द ''प्राप्त करने'' में पूर्व तथा भविष्य भी शामिल होगा।

ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रधान द्वारा प्रत्येक बोलीदाता (बोलीदाताओं) को समानता एवं न्यायिक स्वरूप में देखा जाएगा। विशेषत: प्रधान द्वारा निविदा प्रक्रिया से पूर्व तथा उसके दौरान प्रत्येक बोलीदाता (बोलीदाताओं) को समान सूचना प्रदान की जाएगी तथा किसी बोलीदाता (बोलीदाताओं) को गोपनीय/अतिरिक्त ऐसी सूचना प्रदान नहीं की जाएगी जिससे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध के निष्पादन में किसी लाभ की प्राप्ति होती हो।

ग) इस प्रकिया से प्रधान द्वारा ऐसे सभी पूर्व ज्ञात पक्षपातपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों, जिनके संबंध में संभावित बोलीदाता के साथ किसी प्रकार का संबंध अथवा सांठगांठ होने की जानकारी है, को इस प्रक्रिया से अलग रखा जा सकेगा।

2. यदि प्रधान को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के संबंध में ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है जो भारतीय दंड संहिता/दंड संहिता अधिनियम अथवा प्रधान की आचरण नियमावली के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है अथवा ऐसा होने का पर्याप्त संदेह है तो प्रधान द्वारा इस संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने के साथ साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी।

खंड 2 बोलीदाता (बोलीदाताओं)/ ठेकेदार (ठेकेदारों) की प्रतिबद्धता

1. पवन हंस के साथ संव्यवहार करते हुए बोलीदाता / ठेकेदार भ्रष्टाचार के निवारण के लिए आवश्यक सभी उपायों का उपयोग करने के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। उनकी यह प्रतिबद्धता होगी कि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने तथा अनुबंध का निर्वाह करने के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करें ।

क) बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा परोक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से इस निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रधान के किसी कर्मचारी अथवा किसी तृतीय व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया अथवा अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के ऐसे भौतिक अथवा अन्य लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे जिसे प्राप्त करने के वे विधिक हकदार नहीं हैं।

ख) बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी प्रकार का अप्रकाशित, औपचारिक अथवा अनौपचारिक, अनुबंध अथवा वचनबद्धता नहीं की जाएगी। ऐसा विशेषत: मूल्यों, विशिष्टिताओं, प्रमाणन, अनुषंगी अनुबंध, बोलियों की प्रस्तुति अथवा प्रस्तुति नहीं किए जाने अथवा अन्य प्रतिबंधित प्रतिस्पर्द्धी क्रियाओं अथवा बोली प्रक्रिया में व्यवसायी समूहन किए जाने के लिए लागू है।

ग) बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा भारतीय दंड संहिता/ दंड संहिता अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य नहीं किया जाएगा; इसके अलावा, बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा प्रधान से व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्यों से प्राप्त योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों तथा व्यावसायिक विवरणों, जिसमें सम्मिलित सूचना अथवा इलैक्ट्रानिक ढंग से ट्रांसमिट की गई सूचना भी शामिल होगी, से संबंधित कोई सूचना अथवा दस्तावेज का उपयोग प्रतिस्पर्द्धा के उद्देश्य से अथवा वैयक्तिक लाभ के लिए अथवा अन्यों को अग्रेषित किए जाने के लिए अनुचित ढंग से नहीं किया जाएगा।

घ) विदेशी मूल के बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा भारत में अपने एजेंट / प्रतिनिधि के नाम और पते, यदि कोई हो, के संबंध में प्रकटीकरण किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय नागरिकता वाले बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अपने विदेशी स्वामियों, यदि कोई हों, के संबंध में नाम और पते प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ साथ "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश" में उल्लिखित विवरण का प्रकटीकरण बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार भारतीय एजेंट/ प्रतिनिधियों को किया जाने वाला प्रत्येक प्रकार का भुगतान केवल भारतीय रूपए में ही किया जाना है। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों से संबंधित दिशानिर्देश" की एक प्रति (पृष्ठ संख्या) में दी गई है।

ङ) बोलीदाता (बोलीदाताओं) / अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय यह प्रकटीकरण किया जाएगा कि उन्होंने अनुबंध की प्राप्ति के संबध में किसी एजेंट, दलाल अथवा अन्य किसी बिचौलिए को कोई अथवा कैसा भी भुगतान करने का वायदा नहीं किया है तथा न ही ऐसा कुछ करने की उनकी कोई मंशा है।

च) यह सत्यनिष्ठा संधि ठेकेदार /बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा प्रधान द्वारा ठेकेदार /बोलीदाता के साथ किए गए अनुबंध के गोपनीयता खंड, यदि कोई हो, से अधिक महत्वपूर्ण होगी।

2. बोलीदाता (बोलीदाताओं) / ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किसी तृतीय पक्षकार को किसी अपराध अथवा उपर्युक्तानुसार कोई कृत्य अथवा ऐसे अपराधों में किसी प्रकार की संलिप्तता के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा।

खंड 3: निविदा प्रक्रिया के प्रति अनर्हता तथा भावी अनुबंध (अनुबंधों) से अलग किया जाना

यदि बोलीदाता)बोलीदाताओं(/ अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अवार्ड सौंपे जाने से पहले अथवा निष्पादन के दौरान खंड 2 का उल्लंघन करने का कोई कृत्य उपर्युक्तानुसार अथवा किसी अन्य किसी स्वरूप में किया जाता है जिससे उसकी विश्वसनीयता और साख प्रश्नों के दायरे में आए तो प्रधान द्वारा बोलीदाता)बोलीदाताओं(/ अथवा ठेकेदार (ठेकेदारों) की पात्रता को निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य ठहराया जा सकेगा अथवा "व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंध के दिशानिर्देशों" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकेगी। "व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंध के दिशानिर्देशों" की एक प्रति पृष्ठ संख्या 8-16 पर है।

खंड **4** – क्षतिओं का मुआवजा

क) यदि प्रधान द्वारा बोलीदाता(बोलीदाताओं) को खंड 3 के अनुसार अवार्ड दिए जाने से पहले निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य ठहराया जाता है तो प्रधान द्वारा अग्रिम धन जमा/ बोली सुरक्षा में से क्षति के समतुल्य अथवा परिणामी देरियों के कारण वास्तविक क्षति की मांग एवं वसूली की जा सकेगी।

ख) यदि प्रधान द्वारा खंड 2 के अनुसार अनुबंध को समाप्त किया जाता है अथवा प्रधान की खंड 3 के अनुसार अनुबंध 3 को समाप्त करने की पात्रता है तो प्रधान द्वारा ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के निर्णित हर्जाने अथवा निष्पादन बैंक गारंटी के समतुल्य राशि की मांग एवं वसूली की जा सकेगी।

ग) ठेकेदार /बोलीदाता द्वारा समापन के लिए प्रधान से क्षति अथवा अन्य कारणों से किसी प्रकार की राशि का दावा नहीं किया जा सकेगा।

खंड ***5*** – पूर्व उल्लंघन

क) यदि बोलीदाता द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी देश में किसी भी अन्य कम्पनी अथवा भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा कृत्य नहीं किए जाने की घोषणा की जाती है जिससे उसे निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का कोई औचित्य प्राप्त होता हो।

ख) यदि बोलीदाता द्वारा इस विषय पर गलतबयानी की जाती है तो उसे निविदा प्रक्रिया के प्रति अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा उसके विरूद्ध "व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंध के दिशानिर्देशों" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

ग) खंड 6– सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार किया जाना।

घ) बोलीदाता)बोलीदाताओं(/ ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा अपने उप ठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा संधि के प्रति पुष्टि प्राप्त करना तथा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इसे प्रधान को प्रस्तुत करना।

ङ) प्रधान द्वारा सभी बोलीदाताओं / ठेकेदारों तथा उप ठेकेदारों के साथ इस अनुबंध के अनुरूप ही

समान शर्तों वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

च) इस संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले अथवा इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले सभी बोलीदाताओं को प्रधान द्वारा निविदा प्रक्रिया के प्रति अयोग्य ठहराया जा सकेगा।

खंड **7** – उल्लंघनकर्ता बोलीदाता)बोलीदाताओं(/ ठेकेदार (ठेकेदारों) / उपठेकेदार (उप ठेकेदारों) के खिलाफ आपराधिक आरोप

यदि प्रधान को किसी बोलीदाता/ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार अथवा बोलीदाता, ठेकेदार अथवा उप ठेकेदार के किसी कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि अथवा सहयोगी के संबंध में भ्रष्टाचार के आचरण से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है अथवा प्रधान को इसके संबंध में पर्याप्त संदेह है तो प्रधान द्वारा इसकी जानकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी को दी जाएगी।

खंड ***8*** – स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर

क) प्रधान द्वारा इस संधि के लिए सक्षम एवं विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर की नियुक्ति की जाएगी। मॉनीटर का कार्य स्वतंत्र एवं उद्देश्यपरक रूप से इस अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन पार्टियों द्वारा किए जाने तथा किस सीमा तक किए जाने की समीक्षा की जाएगी।

ख) मॉनीटर को पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा निदेश नहीं जा सकेंगे तथा वह अपना कार्य निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करेगा। वह अध्यक्ष, पवन हंस लिमिटेड को रिपोर्ट करेगा।

ग) बोलीदाता)बोलीदाताओं(/ ठेकेदार (ठेकेदारों) की यह स्वीकृति होगी कि मॉनीटर को बिना किसी रोक टोक के परियोजना से संबंधित प्रधान के सभी दस्तावेजों तथा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा मॉनीटर को यह स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी कि उसके द्वारा अनुरोध किए जाने अथवा उचित रूचि दर्शाए जाने पर परियोजना से संबंधित दस्तावेज बिना किसी रोक एवं बिना किसी शर्त के उसे उपलब्ध होंगे। यह उप ठेकेदारों के लिए भी लागू होगा। मॉनीटर द्वारा संविदागत बाध्यता के अंतर्गत बोलीदाता(बोलीदाताओं)/ ठेकेदार (ठेकेदारों)/ उप ठेकेदार (उप ठेकेदारों) से संबंधित सूचना एवं दस्तावेजों के प्रति गोपनीयता रखी जाएगी।

घ) यदि प्रधान एवं ठेकेदार के बीच किसी बैठक में संविदागत संबंध प्रभावित होने की संभावना हो तो प्रधान द्वारा परियोजना के संबंध में सभी पार्टियों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों की पर्याप्त सूचना स्वतंत्र मॉनीटर को दी जाएगी । पार्टियों द्वारा मॉनीटर को ऐसी बैठकों में प्रतिभागिता करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा।

ङ) मॉनीटर द्वारा इस अनुबंध के प्रति किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने अथवा प्रतीत होने की स्थिति में प्रधान के प्रबंधन को स्वयं इसकी जानकारी दी जाएगी तथा यह अनुरोध किया जाएगा कि वे इसे जारी न रखें अथवा सुधार कार्रवाई अथवा अन्य कोई उचित कार्रवाई करें। मॉनीटर द्वारा इस संबंध में गैर-बाध्य सिफारिशें की जा सकेंगी। इसके अलावा, मॉनीटर को पार्टियों से किसी विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने, किसी कृत्य को न करने अथवा किसी कृत्य को सहन करने की मांग करने का अधिकार नहीं है।

च) प्रधान से सूचना प्राप्त होने की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर मॉनीटर द्वारा अध्यक्ष, पवन हंस लिमिटेड को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर समस्यात्मक स्थितियों को सुधारने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।

छ) मॉनीटर की पारितोषिक से संबंधित पात्रता उन्हीं शर्तों के अनुसार होगी जो पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों को दी जाती है /उपलब्ध कराई जाती है।

ज) यदि मॉनीटर द्वारा अध्यक्ष, पवन हंस लिमिटेड को भारतीय दंड संहिता/दंड सहित अधिनियम के अंतर्गत किसी कृत्य का उचित संदेह होने की सूचना दी जाती है तथा अध्यक्ष, पवन हंस लिमिटेड द्वारा ऐसे कृत्य के प्रति औचित्यपरक समय में पर्याप्त उचित कार्रवाई नहीं की जाती है अथवा उसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को नहीं दी जाती है तो वह ऐसी सूचना सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दे सकेगा।

झ) मॉनीटर शब्द में एकल एवं एकाधिक दोनों सम्मिलित हैं।

खंड *9* – संधि की अवधि

यह संधि दोनों पक्षकारों द्वारा विधिक रूप में हस्ताक्षर किए जाने के साथ लागू होगी। ठेकेदार के लिए इसकी वैधता अनुबंध के अंतर्गत अंतिम भुगतान प्राप्त होने के पश्चात 3 वर्ष तक तथा अन्य बोलीदाताओं के लिए इस ठेके का अवार्ड दिए जाने के पश्चात 12 माह होगी। यदि इस काल के दौरान किसी प्रकार का दावा किया जाता है/दाखिल किया जाता है तो वह उपर्युक्तानुसार इस संधि के कालातीत होने पर भी बाध्यकारी एवं वैध होगा बशर्ते पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा इसके संबंध में उन्मोचन / निर्धारण न किया गया हो।

खंड *10* – अन्य प्रावधान

क) यह अनुबंध भारतीय कानून का अनुसरण किए जाने की शर्त के साथ है। इसका निष्पादन एवं न्यायिक क्षेत्र प्रधान का पंजीकृत कार्यालय अथवा दिल्ली है।.

ख) किसी प्रकार के संशोधन अथवा अनुपूरक एवं समापन की सूचना लिखित रूप में दी जाएगी। इसके लिए सहायक अनुबंध नहीं किए गए हैं।

ग) यदि ठेकेदार कोई साझीदार अथवा कंर्सोटियम है तो इस अनुबंध पर सभी साझीदारों अथवा कंर्सोटियम के सदस्यों द्वारा तथा कम्पनी होने की स्थिति में प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

घ) इस अनुबंध के एक अथवा कुछ प्रावधान अवैध होने की स्थिति में इस अनुबंध के शेष प्रावधान वैध रहेंगे। ऐसे मामले में पक्षकारों को उनकी मौलिक मंशा के साथ एक सहमति बनाने का प्रयास करना होगा।

<u>सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम</u>

पवन हंस लिमिटेड, सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम

1. प्रस्तावना

- पवन हंस लिमिटेड एवं इसके कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं दायित्व
- इसके सहयोगियों की प्रतिबद्धता एवं दायित्व
- उल्लंघन एवं उसके परिणाम
- स्वतंत्र मॉनीटर
- कार्यान्वयन दिशानिर्देश
- स्वतंत्र मॉनीटर की भूमिका

पवन हंस लिमिटेड भारत में हैलीकॉप्टर प्रचालनों एवं अनुरक्षण की सेवाएं प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है। व्यवसाय संव्यवहार के प्रति उच्चतर नीतिपरक मानकों के अनुरूप स्थापित मानदंडों एवं उद्योग में प्रचलित उत्तम व्यवहारों को अंगीकार करते हुए किया जाता है।

इसका व्यवसाय अनेक अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं, ठेकेदारों तथा आपूर्तिकताओं (काउंटर पार्टियां) के साथ माल एवं सेवाओं के लिए किया जाता है। पवन हंस अत्याधिक नीतिपरक एवं भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के पोषण के प्रति प्रतिबद्ध है। पवन हंस द्वारा अपने सभी सहयोगियों के साथ अपने संबंधों के मूल्य एवं व्यवहार के लिए अनुकूलता एवं पारदर्शिता बरती जाती है।

अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पवन हंस लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सहयोग से 1 करोड़ अथवा अधिक मूल्य के सभी अनुबंधों के संबंध में सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस प्रयास के अंतर्गत पवन हंस लिमिटेड द्वारा केन्द्रीयसतर्कता आयोग के परामर्श से बाह्य स्वतंत्र मॉनीटर की नियुक्ति की जाएगी जो सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पवन हंस लिमिटेड की सहायता करेगा। सत्यनिष्ठा संधि पर निविदा पूर्व स्तर पर प्रधान एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा यह निविदा दस्तावेज का अंग होगी। प्रधान द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा संधि निविदा दस्तावेज का भाग बनेगी । आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करके इसे वित्तीय एवं तकनीकी बोलियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

पवन हंस लिमिटेड की सत्यनिष्ठा संधि के घटक मुख्यत: निम्नलिखित पर आधारित किए गए हैं:-

2. पवन हंस लिमिटेड की प्रतिबद्धता एवं दायित्व

- पवन हंस लिमिटेड अपनी पार्टियों के साथ अत्याधिक नीतिपरक एवं भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के पोषण के प्रति प्रतिबद्ध है।
- पवन हंस द्वारा अपने सभी सहयोगियों के साथ अपने संबंधों के मूल्य एवं व्यवहार के लिए अनुकूलता एवं पारदर्शिता बरती जाती है।
- पवन हंस लिमिटेड तथा/अथवा इसके सहयोगी (कर्मचारी, एजेंट, परामर्शदाता, सलाहकार इत्यादि) द्वारा किसी प्रकार की रिश्वत/ अनापेक्षित लाभ की परोक्ष अथवा अपरोक्ष अपेक्षा अथवा प्राप्ति स्वयं अथवा तृतीय पार्टियों के लिए नहीं की जाएगी।
- प्रतिस्पर्द्धी निविदा तथा सामान्य प्राप्ति के लिए पवन हंस द्वारा अपनी सभी पार्टियों के साथ समानता, औचित्यपरकता एवं निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया जाएगा।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा ऐसे सभी सहयोगियों को इस प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा जिनसे पार्टियों के साथ व्यवहार के दौरान पक्षपात अथवा हित संघर्ष की संभावना हो ।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरकर सभी पार्टियों को देय समय पर किया जाएगा।
- भ्रष्टाचार एवं नीति विरूद्ध व्यवहार की स्थिति में पवन हंस लिमिटेड द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा इसका अनुसरण कड़ाई से किया जाएगा।

3. पार्टियों की प्रतिबद्धताएं एवं दायित्व

- हमारे साथ व्यवहार करने वाली पार्टियों द्वारा प्रधान, पवन हंस लिमिटेड के साथ व्यवहार करते हुए अनापेक्षित लाभ की प्राप्ति के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में (एजेंट, परामर्शदाता,

सलाहकार इत्यादि के माध्यम से) किसी को भी रिश्वत का भुगतान अथवा अवैध लाभ नहीं दिए जाएंगे।

- हमारे साथ व्यवहार करने वाली पार्टियां प्रधान, पवन हंस लिमिटेड के साथ व्यवहार करते हुए अन्य पार्टियों के साथ किसी प्रकार की मिलीभगत, मूल्य नियतन की क्रियाओं में संलिप्त नहीं होंगी ।
- हमारे साथ व्यवहार करने वाली पार्टियों द्वारा संगठन से प्राधिकार प्राप्त किए बिना प्रधान से संबंधित किसी प्रकार की गोपनीय सूचना का सहभाजन किसी तीसरी पार्टी के साथ नहीं किया जाएगा।
- हमारे साथ व्यवहार करने वाली पार्टियों द्वारा संगठन में प्रचलित उत्तम नीतिगत व्यवहारों के लिए सहयोग एवं अनुसरण किया जाएगा।
- हमारे साथ व्यवहार करने वाली पार्टियों द्वारा निम्नलिखित से संबंधित जानकारी स्वतंत्र मॉनीटर को दी जाएगी :
  - उससे किसी प्रकार की रिश्वत अथवा अवैध भुगतान/ लाभ की मांग किए जाने तथा
  - प्रधान, पवन हंस के संगठन में किसी प्रकार के नीति विरूद्ध अथवा अवैध व्यवहार की जानकारी प्राप्त होने
  - उसके द्वारा पवन हंस के किसी सहयोगी को किसी प्रकार का भुगतान किए जाने
- हमारे साथ व्यवहार करने वाली पार्टियों द्वारा पवन हंस लिमिटेड अथवा इसके सहयोगियों के प्रति किसी प्रकार के मिथ्या अथवा भ्रामक आरोप नहीं लगाए जाएंगे।

4. उल्लंघन तथा उसके परिणाम

- हमारे साथ व्यवहार करने वाली पार्टी द्वारा बोली प्रक्रिया के दौरान यदि सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धताओं एवं दायित्वों के प्रति किसी उल्लंघन का कृत्य किया जाता है तो वह पवन हंस लिमिटेड को ऑफर के मूल्य के 3 प्रतिशत के समतुल्य अथवा अग्रिम धन जमा/ बोली सुरक्षा की राशि, इनमें से जो भी अधिक हो अथवा स्वतंत्र मॉनीटर द्वारा निर्धारित की राशि, के परिसमापन हर्जाने का मुआवजा देना होगा।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा अनुबंध समाप्त किए जाने अथवा अनुबंध को समाप्त करना उचित समझा जाने पर पवन हंस लिमिटेड द्वारा अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत के समतुल्य अथवा अग्रिम धन जमा/ बोली सुरक्षा की राशि, इनमें से जो भी अधिक हो अथवा स्वतंत्र मॉनीटर द्वारा किए जाने वाले निर्धारित के अनुसार, के परिसमापन हर्जाने की वसूली की जा सकेगी।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा व्यवहार करने वाली पार्टी को तब तक भविष्य में किए जाने वाले व्यवहारों के लिए प्रतिबंधित तथा हटाया जा सकता है जब तक स्वतंत्र मॉनीटर इस आशय के प्रति संतुष्ट नहीं होता कि पार्टी द्वारा भविष्य में इस प्रकार उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
- पवन हंस द्वारा उल्लंघन की गम्भीरता को ध्यान में रखकर उल्लंघन करने वाली पार्टी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
- प्रधान पवन हंस अथवा इसके सहयोगियों (अर्थात कर्मचारियों, एजेंटों, परामर्शदाताओं, सलाहकारों इत्यादि) द्वारा सत्यनिष्ठा संधि का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में पवन हंस लिमिटेड द्वारा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
- यदि व्यवहार करने वाली पार्टी द्वारा की गई शिकायत शरारत अथवा नुकसान पहुंचाने की

मंशा से युक्त पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

5. स्वतंत्र मॉनीटर

- सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा प्रभाव्यता की देख रेख के लिए स्वतंत्र मॉनीटर (मॉनीटरों) की नियुक्ति का प्राधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड का है। इस उद्देश्य से केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र मॉनीटरों का पैनल तैयार किया जा सकेगा। यह स्वैच्छिक तथा 3 वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक स्तर का होगा एवं स्वतंत्र मॉनीटरों को दिया जाने वाला महत्व / लाभ पवन हंस निदेशक मंडल के सदस्यों के समान होंगे।
- स्वतंत्र मॉनीटर का उत्तरदायित्व सौंपे जाने वाला व्यक्ति पूर्णत: ईमानदार, पवन हंस लिमिटेड के कार्यों एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों के प्रति सुविज्ञ होगा।
- स्वतंत्र मॉनीटर का प्रमुख उद्देश्य सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम की निगरानी करना, भ्रष्टाचार अथवा अनुबंध के कार्यान्यवयन में होने वाले अन्य कदाचार पूर्ण व्यवहारों की रोकथाम करना होगा ।
- स्वतंत्र मॉनीटरों को प्रशासनिक एवं प्रवर्तन उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं होंगे। वह अपने प्रयासों का समन्वय केन्द्रीय सर्तकता अधिकारी अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसे अन्य भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों के माध्यम से करेगा। (उसके द्वारा पवन हंस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात पवन हंस के खर्चे पर अपेक्षानुसार बाह्य एजेंसियों जैसे लेखा फर्मों, विधि फर्मों इत्यादि की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।)
- स्वतंत्र मॉनीटर को विचाराधीन निविदा के संबंध में प्रधान के सभी कार्यालयों तथा आंतरिक रिकार्डों को देखा जा सकेगा। वह प्रधान के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में दूसरी पार्टियों के रिकार्ड एवं उनसे संबंधित सूचना भी प्राप्त कर सकेगा।
- प्रधान तथा व्यवहार करने वाली अन्य पार्टियों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों में स्वतंत्र मॉनीटर को भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा। जहां तक संभव हो बैठकों का आयोजन भारत में ही किया जाना चाहिए। भारत से बाहर आयोजित की जाने वाली किसी बैठक की स्थिति में स्वतंत्र मॉनीटर की उपस्थिति का निर्णय पवन हंस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ विचार विमर्श करके लिया जा सकेगा।
- यदि स्वतंत्र मॉनीटर द्वारा कोई अनियमितता देखी जाती है अथवा उसका संदेह होता है तो वह उसकी सूचना पवन हंस के अध्यक्ष को देगा । स्वतंत्र मॉनीटर द्वारा अनियमितता के प्रति सुनिश्चय कर लेने के पश्चात वह उसकी जानकारी केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भी दे सकेगा।
- मॉनीटर को उसके कार्यों से प्राधिकारी द्वारा मुक्त एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है तथा ऐसे निर्णयों की अभिपुष्टि प्राधिकरण के निदेशक मंडल द्वारा की जानी होगी।

6. कार्यान्वयन दिशानिर्देश

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र मॉनीटरों का पैनल तैयार किया जा सकेगा।
- सक्षम प्राधिकारी को अपने सभी वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों/अधिकारियों से प्रतिबद्धता प्राप्त करनी होगी। सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के प्रति किसी प्रकार के विरोध को संज्ञान में लिया जाना चाहिए।
- सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करते हुए सत्यनिष्ठ संधि के दस्तावेज को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा ट्रांसप्रेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) अथवा स्वतंत्र मॉनीटरों के परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों, निदेशक मंडल, संगठन के अन्य किसी निगरानी निकाय तथा पवन हंस के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं को सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सूचना दी जाएगी जो पवन हंस की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित होगी तथा इस प्रयास का प्रकटन मीडिया के सम्मुख भी किया जाएगा।

सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश सुझाए गए हैं:

7. आवधिक समीक्षा एवं मूल्यांकन

- सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम की प्रभाव्यता एवं सुधार के क्षेत्रों /विधियों के संज्ञान के उद्देश्य से पवन हंस के स्वतंत्र मॉनीटरों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वार्षिक स्व-मूल्यांकन किया जाता है।
- स्वतंत्र मॉनीटर द्वारा सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम की प्रगति / प्रभाव्यता की वार्षिक रिपोर्ट पवन हंस के निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है।
- पवन हंस द्वारा (अपेक्षानुसार बाह्य एजेंसी के माध्यम से) वरिष्ठ कार्यपालकों, कनिष्ठ कार्यपालकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के परिणामस्वरूप घटते हुए भ्रष्टाचार के संबंध में 360 डिग्री समीक्षा की जा सकती है। प्रधान के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कार्यपालकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा प्रतिस्पर्धियों से इस संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जाना चाहिए।
- पवन हंस को कार्यक्रम की प्रभाव्यता की समीक्षा के संबंध में वर्ष में एक बार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

यह अनुशंसा की जाती है कि पवन हंस के निदेशक मंडल द्वारा आवधिक तौर पर सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम की प्रभाव्यता की समीक्षा पूर्ण अथवा निम्नलिखित उपायों के संदर्भ में की जानी चाहिए:-

व्यवसाय व्यवहार को प्रतिबंध करने से संबंधित दिशानिर्देश – पवन हंस लिमिटेड

1. प्रस्तावना

क) पवन हंस लिमिटेड को एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण अपने वाणिज्यिक हितों का संरक्षण करना होता है । पवन हंस द्वारा ऐसी एजेंसियों के साथ संव्यवहार किया जाता है जिनकी सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता एवं विश्वसनीयता का स्तर कार्य के प्रति अत्याधिक उच्च डिग्री का होता है। कपट, धोखेबाजी अथवा दबाव अथवा अनापेक्षित प्रभाव अथवा अन्य कदाचार का उपयोग

अवार्ड किए जाने वाले अनुबंधों के लिए करने वाली एजेंसियों के साथ संव्यवहार करना पवन हंस के हित में नहीं है। सांविधिक अनिवार्यता के अनुरूप अनुपालन का सुनिश्चय करने के लिए किसी एजेंसी के साथ व्यवसाय प्रतिबंधित करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना पवन हंस लिमिटेड का कर्त्तव्य है।

ख) किसी एजेंसी के साथ व्यवसाय प्रतिबंधित किए जाने से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है अत: मामले के तथ्यों एवं स्थितियों पर विचार करके आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई एवं स्पष्टीकरण के अवसर प्रदान किया जाना, यदि वे चाहें, अत्यंत आवश्यक है।

2. व्यापकता

क) पवन हंस लिमिटेड के अनुबंध की सामान्य शर्तों में सामान्यत: अनुमोदित आपूर्तिकताओं/ ठेकेदारों की सूची में से किसी अनाचरण करने वाली, किसी कानून अथवा अनुबंध के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने एजेंसी को हटाना अथवा उसके साथ व्यापार प्रतिबंधित अथवा जांच पूरी होने तक व्यवसाय संबंध निलम्बित रखने का पवन हंस का अधिकार सुरक्षित होता है। अनुबंध की सामान्य शर्तों में यदि ऐसे प्रावधान न हों तो इनका समावेश किया जाना चाहिए।

ख) इसी प्रकार, किसी सामग्री की बिक्री के मामले में एजेंसियों/ग्राहकों/क्रेताओं से व्यवहार करने की व्यवस्था की गई है । यदि ऐसे निर्धारण नहीं किए गए हैं तो इनका समावेश किया जाना चाहिए।

ग) तथापि, ऐसी व्यवस्था न किए जाने से कम्पनी के वे अधिकार किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होते हैं जिसके अंतर्गत इन दिशानिर्देशों के अनुसार उचित मामलों में कार्रवाई/निर्णय लिए जा सकते हों।

घ) (i) किसी एजेंसी को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों की सूची में हटाने; (ii) निलम्बित करने तथा (iii) एजेंसियों के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों में दी गई है।

ङ) ये दिशानिर्देश पवन हंस लिमिटेड के सभी विभागों/स्टेशनों तथा सहायक कम्पनियों पर लागू होते हैं।

च) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन दिशानिर्देशों का किसी एजेंसी विशेष के साथ उसके खराब/अपर्याप्त निष्पादन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कोई संव्यवहार न करने के संबंध में प्रबंधन के निर्णय से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है ।

छ) प्रतिबंध भावी प्रभावों के लिए लागू होगा अथवा भविष्य में किए जाने वाले व्यवसाय व्यवहारों के लिए।

3. परिभाषाएं

i. 'पार्टी / ठेकेदार/आपूर्तिकता/ क्रेता / ग्राहक' के अर्थ में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, कोई फर्म, जो पंजीकृत हो अथवा नहीं, कोई वैयक्तिक, सहकारी समिति अथवा कोई संघ अथवा व्यक्तियों का ऐसा समूह जो वाणिज्यिक व्यवसाय करता हो, उद्योग इत्यादि शामिल माने जाएंगे। 'पार्टी / ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ क्रेता / ग्राहक' के संदर्भ में इन्हें दिशानिर्देशों में 'एजेंसी' दर्शाया गया है।

ii. 'अंतर-सम्बद्ध एजेंसी' का अर्थ निम्नलिखित आकर्षणों वाली दो अथवा अधिक कम्पनियां होगा :

क) यदि उनमें से कोई एक दूसरी की सहायक कम्पनी हो;

ख)यदि इनके निदेशक, साझेदार, प्रबंधक अथवा प्रतिनिधि समान हों;

ग) यदि प्रबंधन समान हो;

घ) यदि एक स्वामी हो अथवा दूसरी का नियंत्रण किसी प्रक्रिया से करता हो;

iii. 'सक्षम प्राधिकारी' तथा 'अपील प्राधिकारी' का अर्थ निम्नलिखित होगा:

क) कम्पनी (समग्र पवन हंस) वृहद प्रतिबंध के लिए

कार्यपालक निदेशक/ महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से 'सक्षम प्राधिकारी' होंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस इस प्रकार के मामलों के लिए 'अपील प्राधिकारी' होंगे।

ख) यदि कोई विदेशी आपूर्तिकर्ता प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह पवन हंस के निदेशक मंडल अथवा द्वितीय अपील प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकेगा।

ग) केवल विभाग / क्षेत्रों के लिए

महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त अथवा नामित उप महाप्रबंधक तक के रैंक का कोई भी अधिकारी इस प्रकार के मामलों के लिए 'अपील प्राधिकारी' होगा।

घ) केवल निगमित कार्यालय के लिए

मदों की अधिप्राप्ति/अनुबंध अवार्ड करने, केवल निगमित कार्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप महाप्रबंधक (प्रशासन) 'सक्षम प्राधिकारी' होंगे तथा महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) 'अपील प्राधिकारी' होंगे।

iv. 'अंवेषण विभाग' से ऐसा कोई विभाग अथवा क्षेत्र अभिप्रेत होगा जो एजेंसी द्वारा किए गए आचरण की जांच कर रहा हो तथा इसमें सतर्कता विभाग, केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो, राज्य पुलिस अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जांच करने की शक्ति से युक्त स्थापित किया गया अन्य कोई प्राधिकरण अथवा एजेंसी।

v. 'अनुमोदित एजेंसियों की सूची – पार्टियों / ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / क्रेताओं / ग्राहकों के अर्थ में अनुमोदित / पंजीकृत एजेंसियां – पार्टियां / ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/ क्रेता/ग्राहक इत्यादि शामिल होंगे।

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत यदि अन्यथा अपेक्षित न किया गया हो-

4. प्रतिबंधित किए जाने / निलंबन किए जाने की सूचना

किसी एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने/ निलम्बित करने से संबंधित कार्रवाई अपनी ओर से उस विभाग द्वारा अनियमितताएं अथवा कदाचार पाए जाने के पश्चात की जाएगी जो ऐसी एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार करता है। पवन हंस के सतर्कता विभाग को प्रतिबंध / निलंबन के संबंध में अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त होगा जो विभाग/क्षेत्र/निगमित कार्यालय के लिए बाध्यकारी होगा तथा ऐसी सिफारिशों/निदेशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में इसे

विभाग प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख/ निगमित कार्यालय की ओर से किया गया कदाचार माना जाएगा।

5. व्यवसाय व्यवहार निलम्बित करना

I. यदि पवन हंस के साथ व्यवसाय करने वाली किसी एजेंसी के आचरण की किसी भी विभाग द्वारा जांच की जा रही है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय से विचार किया जा सकता है कि जांच के लिए लगाए गए आरोपों की प्रकृति गम्भीर है अथवा नहीं तथा क्या जांच किए जाने के दौरान ऐसी एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार करना उचित होगा अथवा नहीं। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच करने वाले विभाग की सिफारिशों सहित, यदि कोई हों, मामले पर विचार के पश्चात जांच के दौरान एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार हितकारी नहीं होने का निर्णय लिया जाता है तो एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार निलम्बित किया जा सकता है। इससे संबंधित आदेश में जांच किए जा रहे आरोपों के संक्षेप का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि अंतर-संबंधित एजेंसियां को भी निलंबन के आदेश में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है तो उसका उल्लेख आदेश में विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। निलंबन आदेश छः माह की अवधि से अधिक के लिए प्रभावी नहीं होंगे तथा इसकी जानकारी एजेंसी एवं जांच करने वाले विभाग को भी दी जानी चाहिए। जांच करने वाले विभाग द्वारा पूरी जांच प्रक्रिया इस अवधि के दौरान पूरी कर लेने तथा अंतिम आदेश जारी करने का सुनिश्चय करना चाहिए।

II. निलंबन के आदेश की सूचना सभी विभाग प्रमुखों / क्षेत्रों/ निगमित कार्यालय को दी जाएगी। निलंबन की अवधि के दौरान एजेंसी के साथ किसी प्रकार का व्यवसाय व्यवहार नहीं किया जाएगा।

III. यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थितियों पर विचार करते हुए अन्यथा निर्णय नहीं लिया गया है तो एजेंसी के साथ यथासंभव विद्यमान अनुबंध जारी रखे जाने चाहिए।

IV. यदि जांच किए कदाचार / उल्लंघन की प्रकृति अत्याधिक गंभीर है तो पवन हंस लिमिटेड के समग्र हित ऐसी किसी एजेंसी के साथ जांच की अवधि के दौरान व्यवसाय व्यवहार जारी रखना उचित नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए अपनी अनुशंसा मुख्य सतर्कता अधिकारी, पवन हंस निगमित कार्यालय को तात्विक साक्ष्यों के साथ भिजवाई जानी चाहिए। यदि निगमित कार्यालय कदाचार / उल्लंघन की प्रकृति को ध्यान में रखकर ऐसी एजेंसी के साथ किसी विभाग/क्षेत्र/निगमित कार्यालय तथा सहायक कम्पनियों से किसी प्रकार का व्यवसाय व्यवहार न करने की अपेक्षा करता है तो निगमित कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी विभागों / क्षेत्रों / निगमित कार्यालय को ऐसी एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार न करने के आदेश जारी किए जाएंगे तथा इसकी प्रति संबंधित एजेंसी को भिजवाई जाएगी। ऐसे आदेश जारी किए जाने की तिथि से छः माह के अवधि के लिए मान्य होंगे।

V. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसाय व्यवहार निलम्बित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :-

क) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए जारी किया गया निलम्बर सहायक कम्पनियों सहित समग्र कम्पनी के लिए लागू होगा।

ख) कार्यपालक निदेशक / महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) द्वारा प्रेषित अथवा सतर्कता विभाग, निगमित से सीधे प्राप्त शिकायत के आधार पर यदि जांच किए जा रहे कदाचार की प्रकृति गम्भीर पाई जाती है तथा जांच की अवधि के दौरान ऐसी किसी एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार जारी रखना पवन हंस के लिए हितकारी नहीं समझा जाता है तो

सतर्कता विभाग, निगमित कार्यालय द्वारा मामले से संबंधित अपनी सिफारिश कार्यपालक निदेशक / महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) को निम्नानुसार गठित समिति के सम्मुख विचार के लिए भिजवाई जाएंगी:

1) निगमित कार्यालय के वित्त प्रमुख;
2) संबंधित विभाग प्रमुख;
3) निगमित कार्यालय प्रमुख;
4) विभाग प्रमुख (विधि)

ग) समिति द्वारा कार्यपालक निदेशक / महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) से संदर्भ की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर रिपोर्ट पर त्वरित परीक्षण करते हुए अपनी टिप्पणियां / अनुशंसाएं प्रस्तुत की जाएंगी।

समिति द्वारा की गई टिप्पणियां / अनुशंसाएं महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) द्वारा निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाएं तथा निदेशक मंडल ऐसे मामले को निलंबन के लिए उचित पाए जाने पर विभाग प्रमुख द्वारा उचित आदेश जारी किए जा सकते हैं जिसकी जानकारी महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) द्वारा संबंधित विदेशी आपूर्तिकर्ता को दी जाएगी।

VI. यदि संबंधित एजेंसी द्वारा निलंबन से संबंधित विस्तृत कारण मांगे जाते हैं तो एजेंसी को उसके आचरण की जांच कार्रवाई जारी होने के बारे में बताया जा सकता है। इस स्तर पर एजेंसी के साथ किसी प्रकार का पत्रव्यवहार अथवा तर्क वितर्क करना आवश्यक नहीं है।

VII. निलंबन आदेश जारी करने से पूर्व एजेंसी को कारण बताओ नोटिस अथवा वैयक्तिक सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है। तथापि, यदि जांच छ: माह की अवधि के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाई जा सकेगी तथा इस अवधि के दौरान जांच कार्रवाई अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए।

6. किन कारणों से व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित किया जा सकता है।

I. सुरक्षा कारणों से आवश्यकतानुसार जिसमें राष्ट्र के प्रति एजेंसी की विश्वसनीयता का प्रश्न भी शामिल है;

II. यदि एजेंसी के निदेशक / स्वामी, फर्म के स्वत्वधारी अथवा साझेदार पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी सरकारी अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा पवन हंस के साथ व्यवसाय से संबंधित किसी नैतिक भ्रष्टाचार के जुर्म में किसी न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाते हैं;

III. यदि ऐसा माने जाने के पर्याप्त कारण हैं कि एजेंसी के निदेशक, स्वत्वधारी, साझेदार, स्वामी रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, निविदाओं की फेरबदल, अंर्तवेशन इत्यादि जैसे कदाचार के लिए दोषी है;

IV. यदि एजेंसी कोई उचित कारण बताए बिना निरंतर पवन हंस को उसकी देयताएं वापस देने/धनवापसी के लिए इंकार करती है तथा ऐसा किसी ऐसे औचित्यपरक विवाद के कारण नहीं है जिससे किसी विवाचन अथवा न्यायालय की प्रक्रिया प्रभावित होती हो;

V. यदि एजेंसी द्वारा किसी सरकारी सेवा से हटाए गए / निकाले गए व्यक्ति अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाता है जो भ्रष्टाचार अथवा उत्प्रेरण के किसी ऐसे अपराध में संलिप्त रहा हो;

VI. यदि एजेंसी भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, अवपीड़न, अनापेक्षित दबाव तथा तथ्यों की गलत प्रस्तुति

करने सहित अन्य उल्लंघनों में संलिप्त होता है;

VII. यदि एजेंसी द्वारा अनुबंध के अंतर्गत किसी स्वीकृति / कार्य के निष्पादन के लिए कम्पनी अथवा इसके कर्मियों के प्रति भय / धमकी का प्रयोग किया जाता है अथवा अनापेक्षित बाह्य दबाव डाला जाता है;

VIII. यदि एजेंसी द्वारा संविदागत निर्धारणों के अनुपालन के प्रति बार बार तथा/अथवा जानबूझकर देरी करने के तरीके अपनाए जाते हैं;

IX. कम्पनी द्वारा प्रेषण पूर्व जांच किए जाने अथवा न किए जाने पर भी एजेंसी द्वारा जानबूझकर घटिया सामग्री की आपूर्ति करते रहना;

X. कम्पनी के कार्यों अथवा अन्य मामलों के संबंध में दुराचरण/गैरकानूनी कृत्यों अथवा अनुचित व्यवहार के संबंध में केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो / पुलिस / आंतरिक सतर्कता अथवा सरकारी ऑडिट सहित अन्य किसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर;

XI. अनापेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए एजेंसी का स्थापित मुकदमेबाजी वाला व्यवहार;

XII. अनेक अनुबंधों के प्रति एजेंसी द्वारा निरंतर खराब निष्पादन किया जाना;

XIII. एजेंसी द्वारा कम्पनी के परिसरों अथवा सुविधाओं पर जबरन कब्जा जमाना, भूमि, जल संसाधन, वन/वृक्षों इत्यादि सहित कम्पनी की सम्पतियों को दूषित करना अथवा क्षति पहुंचाना।

(नोट: ऊपर दिए गए उदाहरण वर्णनात्मक हैं तथा सुविस्तृत नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण से व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।)

7. व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करना

I. सामान्यत: किसी एजेंसी के लिए किया जाने वाला व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंध सहायक कम्पनियों सहित पूरी कम्पनी के लिए लागू होना चाहिए। तथापि, निगमित क्षेत्र के अलावा विभाग / क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रतिबंध किसी ऐसे मामले में संबंधित विभाग/क्षेत्र के लिए केवल यूनिटवार लगा सकते हैं बशर्ते ऐसे किसी विशेष मामले में उद्देश्यों तथा उसके लक्ष्यों की प्राप्ति होती हो तथा स्थानीय स्थितियों एवं विभाग /क्षेत्र के बाहर ऐसे कदाचार / चूक के प्रभाव की अपेक्षा न हो । निगमित कार्यालय द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध कम्पनी के सभी विभागों / क्षेत्रों के लिए लागू होगा।

II. सम्पूर्ण कम्पनी में प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रस्ताव मामले से संबंधित सभी तथ्यों तथा प्रस्तावित कार्रवाई के औचित्य एवं सभी संबंधित कागजातों एवं दस्तावेजों के साथ विभाग / क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजे जाने चाहिए।

III. निगमित कार्यालय में सतर्कता विभाग द्वारा विभाग /क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव प्रत्यक्ष विचार के लिए सम्पूर्ण कम्पनी में प्रतिबंध के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

IV. मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग/क्षेत्र से उक्त एजेंसी से संबंधित फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। इस फीडबैक के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्रतिबंध/अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष निर्णय लिया जाएगा।

V. यदि सम्पूर्ण कम्पनी में प्रतिबंध के लिए प्रत्यक्ष निर्णय लिया जाता है तो निगमित कार्यालय के सर्तकता विभाग एजेंसी को यह ज्ञात करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि

किन कारणों से पवन हंस लिमिटेड द्वारा उसके संबंध में सम्पूर्ण कम्पनी में प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

एजेंसी से प्राप्त उत्तर तथा मामले की अन्य स्थितियों एवं तथ्यों पर विचार करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कम्पनी में प्रतिबंध लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी द्वारा कोल / कोक की आपूर्ति करने वाले विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने के अलावा "व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंध" से संबंधित अन्य मामलों की देखरेख के लिए प्रत्येक विभाग / क्षेत्र के लिए एक स्थाई समिति गठित की जाएगी। तथापि केवल निगमित कार्यालय की अपेक्षाओं के अनुसार मदों/कार्यों से संबंधित अनुबंधों के लिए ऐसी समिति में वित्त, अधिप्राप्ति तथा विधि विभाग के कार्यपालक निदेशक / महाप्रबंधक सम्मिलित होंगे:

क) जांच की गई एजेंसी की रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए यह निर्णय लेना कि क्या इसमें सम्पूर्ण कम्पनी / स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रतिबंध लगाए जाने का कोई प्रत्यक्ष कारण उपलब्ध है, यदि नहीं, तो मामले को सक्षम प्राधिकारी के पास वापस भेजना।

ख) संबंधित विभाग के माध्यम से कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश करना।

ग) कारण बताओ नोटिस के उत्तर का परीक्षण करना तथा आवश्यकतानुसार एजेंसी को वैयक्तिक सुनवाई के लिए बुलवाना।

घ) प्रतिबंध लगाए जाने अथवा न लगाए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख अपनी अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करना।

VI. यदि सक्षम प्राधिकारी के मतानुसार एजेंसी को व्यवसाय व्यवहार से प्रतिबंधित किए जाने के कारण उपलब्ध हैं तो पैराग्राफ 9.1 के अनुसार एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जांच कार्रवाई की जानी चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों इत्यादि को अनुमोदित एजेंसियों की सूची में हटाया जाना ।

I. यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एजेंसी के खिलाफ लगाया गया आरोप न्यून प्रकृति का है तो ऐसी स्थिति में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एजेंसी से यह ज्ञात किया जा सकता है कि किन कारणों से एजेंसी को अनुमोदित एजेंसियों – आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार इत्यादि की सूची में से हटाया नहीं जाना चाहिए।

II. ऐसी आदेश का प्रभाव यह होगा कि एजेंसी किसी प्रतिस्पर्धी ओपन निविदा इन्कवायरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराई जा सकेगी।

III. अनुबंध जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुमोदन पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी के पूर्व निष्पादन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कारण बताओ नोटिस

I. ऐसे मामलों में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है तो एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के साथ अनाचार अथवा दुर्व्यवहार से संबंधित आरोप का विवरण भेजा जाना चाहिए तथा एजेंसी से अपने बचाव में लिखित उत्तर 15 दिन के भीतर देने के लिए कहा जाना चाहिए।

II. यदि एजेंसी पवन हंस के पास रखे किसी संबंधित दस्तावेज की जांच के लिए अनुरोध करती है तो उसे दस्तावेज की जांच के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जानी

चाहिए।

III. सक्षम प्राधिकार द्वारा विचार करते हुए निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जा सकते हैं:

क) आरोप सिद्ध न होने की स्थिति में एजेंसी के हक बहाल करने के लिए;

ख) एजेंसी को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों इत्यादि की सूची में से हटाने के लिए ;

ग) एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने के लिए ।

IV. यदि एजेंसी के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जाता है तो प्रतिबंध लागू होने की अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह प्रतिबंध एजेंसी की अंतर-सम्बद्ध एजेंसियों के लिए भी लागू होगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति अपील

I. सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय व्यवहार इत्यादि प्रतिबंधित किए जाने से संबंधित जारी आदेश के प्रति एजेंसी द्वारा अपील दायर की जा सकती है। यह अपील अपील प्राधिकारी के सम्मुख की जानी चाहिए । ऐसी अपील व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंध इत्यादि किए जाने के आदेश की प्राप्ति की तिथि से किया जाना उचित है।

II. अपील प्राधिकारी द्वारा अपील के संबंध में संबंध विचार करके उचित आदेश जारी करते हुए एजेंसी तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचना दी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा

मुख्य कार्यपालक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंध के संबंध में मूलत: जारी आदेश से संबंधित एजेंसी द्वारा समीक्षा के लिए दायर की गई किसी याचिका/आवेदन पर विद्यमान दिशानिर्देशों के तहत, अपील अधिकारी के सम्मुख अपील दायर किए से पूर्व अथवा उसके पश्चात, समीक्षा की जा सकेगी। समीक्षा याचिका का निर्णय मुख्य कार्यपालक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा के लिए आवश्यक नए तथ्यों/स्थितियों अथवा अनुवर्ती परिणामों के अनुसार लिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी याचिका स्थाई समिति को परीक्षण अथवा अनुशंसा के लिए भिजवाई जा सकती है।

ऐसी एजेंसियों के नामों का प्रसार जिनके साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित किया गया है

I. स्थापित उल्लंघन की गम्भीरता के आधार पर निगमित कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित की गई एजेंसी के नाम सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों इत्यादि को उनके द्वारा उचित समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रसारित किए जा सकते हैं।

II. यदि किसी सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा व्यवसाय व्यवहार के लिए प्रतिबंधित की गई एजेंसी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है तो जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी /अपील प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की प्रतियां भिजवाई जा सकती हैं।

III. यदि किसी एजेंसी के साथ केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित किया गया है तो पवन हंस द्वारा आगे किसी

प्रकार की जांच अथवा अंवेषण किए बिना ऐसी एजेंसी तथा उससे संबंधित एजेंसियों के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए जाने चाहिए।

IV. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विभाग / स्टेशनों द्वारा दिशानिर्देशों के कार्यान्यन के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार की जा सकती है।

विदेशी आपूर्तिकताओं के ऐसे भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश जिन्हें पवन हंस से अनुमति प्राप्त नहीं है

1. प्रत्येक वैश्विक (ओपन) निविदा तथा सीमित निविदा (हैलीकॉप्टरों की खरीद के मामले के अलावा जिसकी निविदा में केवल निर्माता ही प्रतिभागिता कर सकते हैं) के लिए अनिवार्य पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है। कोई ऐसा एजेंट जो पवन हंस के किसी विभाग/स्टेशन में पंजीकृत नहीं है वह निर्धारित आवेदन फार्म में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

a) पंजीकृत एजेंटों द्वारा सत्यापित फोटोस्टेट प्रति का नोटेरी पब्लिक से साक्ष्यांकित प्रति/ प्रधान से प्राप्त मूल प्रमाणपत्र, जिससे एजेंसी अनुबंध की पुष्टि होती हो तथा एजेंट द्वारा प्राप्त किए स्तर एवं पवन हंस के किसी विभाग / स्टेशन द्वारा व्यवस्था आदेश जारी किए जाने से पूर्व प्रधान द्वारा एजेंट को प्रदान की जा रही कमीशन / पारिश्रमिक / वेतन / रिटेनरशिप की स्थिति का उल्लेख किया गया हो, फाईल किया जाएगा।

b) जब कभी भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा अपने प्रधान की ओर से सूचना दी जाएगी तथा विदेशी पार्टियों द्वारा यह उल्लेख किए जाने पर कि उनके द्वारा भारतीय एजेंटों को किसी प्रकार की कमीशन नहीं दी जा रही है एवं भारतीय प्रतिनिधि उनके साथ वेतन आधार पर अथवा सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो इस आशय की लिखित पुष्टि पार्टी (अर्थात प्रधान) द्वारा आदेश को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भारत में स्थित एजेंटों / प्रतिनिधियों,यदि कोई हों, के विवरण का प्रकटीकरण

क) विदेशी राष्ट्रीयता वाले निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने होंगे:-

ख) भारत में स्थित एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम तथा पते, यदि कोई हों तथा प्रधान की ओर से दिए गए प्राधिकारों का प्राधिकृति विस्तार । यदि एजेंट/प्रतिनिधि विदेशी कम्पनी है तो यह पुष्टि की जानी चाहिए कि यह वास्तविक रूप में सुदृढ़ कम्पनी है तथा उससे संबंधित विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ग) भारत में स्थित ऐसे एजेंटों/प्रतिनिधियों को दी जाने वाली कमीशन /पारिश्रमिक की राशि प्रस्तुत किए जाने वाले मूल्य (मूल्यों) में शामिल की जानी चाहिए।

घ) निविदाकर्ता द्वारा भारत में स्थित अपने एजेंटों / प्रतिनिधियों को देय कमीशन / पारिश्रमिक, यदि कोई हो, की पुष्टि पवन हंस लिमिटेड द्वारा केवल भारतीय रूपए में भुगतान किए जाने के लिए की जानी चाहिए।

2. भारतीय नागरिकता वाले निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा :-

क) अपने विदेशी प्रधान के नाम और पते सहित उनकी राष्ट्रीयता तथा उनकी यह स्थिति कि क्या वे निर्माता हैं अथवा अपने प्रधान से उन्हें विशेष रूप से भारत में उनकी ओर से निविदा की

प्रतिक्रिया के लिए प्रत्यक्ष अथवा अपने एजेंट/प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त प्राधिकार पत्र द्वारा एजेंट के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

ख) निविदा के मूल्य (मूल्यों) में कमीशन / पारिश्रमिक की राशि का उल्लेख निविदाकर्ता द्वारा स्वयं करना चाहिए।

3. ऊपर पैराग्राफ 2.0 में मांगी गई सूचना सही एवं विस्तृत रूप से न दिए जाने की स्थिति में संबंधित निविदा रद्द की जा सकती है अथवा अनुबंध का कार्यान्वयन हो जाने की स्थिति में पवन हंस लिमिटेड द्वारा इसे समाप्त किया जासकता है। इसके अलावा, इसके लिए पवन हंस लिमिटेड के साथ व्यवसाय व्यवहार प्रतिबंधित किए जाने का दंड अथवा क्षति अथवा किसी नियत राशि का दंड भी लगाया जा सकता है।